# स्वतंत्रता दौड़ और तिरंगा रैली में छलका देशभक्ति का उत्साह

## महापौर एवं कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर स्वतंत्रता दौड़ एवं तिरंगा रैली को किया रवाना

स्वदेश समाचार ■ राजनांदगांव

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आजादी के उत्सव को उल्लास एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाने के लिए स्वतंत्रता दौड़ एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम खेल परिसर मैदान, गौरव पथ राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव और कलेक्टर जितेंद्र यादव ने स्वतंत्रता दौड़ और तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं सहित हर आयु वर्ग के नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। देशभक्ति के नारों एवं उत्साह से पूरा आयोजन स्थल गूंज उठा। स्वतंत्रता दौड़ एवं तिरंगा रैली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम खेल परिसर मैदान से प्रारंभ होकर गौरव पथ रोड, वीआईपी रोड, आम्बेडकर चौक एवं दिग्विजय स्टेडियम के सामने से होते हुए वापस वीआईपी रोड के रास्ते अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम खेल परिसर मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने भी प्रदेश एवं जिलेवासियों को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कहा कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया है। उनके संघर्ष और बलिदान को स्मरण करते हुए आजादी के उत्सव में स्वतंत्रता दौड़ एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है।

### देशभक्ति की भावना और मजबूत हो

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्रकार के आयोजन हम सभी को नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा देश और समाज के लिए बेहतर कार्य करने का मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी गतिविधियां नागरिकों को निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजनों को नए आयाम एवं नए स्वरूप के साथ आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित हो और देशभक्ति की भावना और मजबूत हो।

# इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल जारी कामकाज पर पड़ा प्रभाव

स्वदेश समाचार ■ जगदलपुर

विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के इंटर्न डॉक्टर की हड़ताल 10 वें दिन भी जारी रही। इससे अस्पताल के कामकाज पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा। इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाए, अपनी मांग को लेकर बीते दिन डॉक्टरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद अपर कलेक्टर ने डॉक्टरों से मुलाकात कर उनका ज्ञापन शासन स्तर पर भेजने का भरोसा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि इससे पहले भी उनकी मांग को लेकर पत्र शासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

### निकाली गई थी रैली

11 अगस्त को इंटर्न डॉक्टरों ने रैली निकालकर भी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई थी। अब डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि अगर स्थानीय स्तर पर उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो वे रायपुर जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि रायपुर जाने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, वहीं प्रशासन का कहना है कि स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला शासन स्तर से होना है, जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ डॉक्टरों का ज्ञापन संबंधित सक्षम अधिकारी तक भेजा जा सकता है। 126 इंटर्न डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से डिमरापाल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है। वर्तमान में एक शिफ्ट में करीब 35 डॉक्टरों की टीम रहती है और अस्पताल में तीन शिफ्ट लगती 105 डॉक्टर हैं। इतने बड़े अस्पताल में सीमित संख्या में डॉक्टरों से इलाज और व्यवस्थाओं को संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

# सीआरपीएफजवान की मौत के मामले में पत्नी पर एफआईआर

**बलरामपुर।** बलरामपुर जिले में एफआईआर जवान राजाराम प्रजापति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में परिजनों ने पत्नी पर जवान से लगातार पैसों की मांग करने और मानसिक प्रताडऩा देने का आरोप लगाया है। मामले में राजपुर पुलिस ने पत्नी रूपा प्रजापति के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत एफआईआर दर्ज की है। राजपुर थाना क्षेत्र के कुंदीकला गांव निवासी राजाराम प्रजापति (35) वर्ष 2021 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उनकी पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में थी। जून 2026 में वह छुट्टी लेकर घर आए थे। इसी दौरान पत्नी के साथ उनका विवाद होने लगा। 24 जून को विवाद के बाद राजाराम रस्सी लेकर घर से बाहर निकल गए।

# बाड़ी में खून से लथपथ मिली युवती धारदार हथियार से रेता गया गला

स्वदेश समाचार ■ बलौदाबाजार

जिले के लवन थाना अंतर्गत ग्राम चितावर गांव में गुरुवार शाम एक 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। घर के पीछे बाड़ी में युवती शतरूपा ध्रुव खून से लथपथ हालत में मिली। मृतका के गले को किसी धारदार हथियार से रेता गया था। मामले में मृतिका की मां ने पड़ोस में रहने वाले रामदयाल ध्रुव पर हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद से रामदयाल ध्रुव फरार बताया जा रहा है। पुलिस भी मामले में युवक की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, शतरूपा ध्रुव अविवाहित थी और अपनी मां समरीन बाई के साथ रहती थी। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार में मां-बेटी ही दो सदस्य थे। गुरुवार शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच शतरूपा घर के पीछे स्थित बाड़ी में बर्तन मांज रही थी। इसी दौरान उसकी मां समरीन बाई खेत से लौटने के बाद नहाने के लिए तालाब चली गई।

मृतिका की मां समरीन बाई ने पुलिस को बताया कि जब वह तालाब से वापस आई तो पड़ोस में रहने वाला रामदयाल ध्रुव बाड़ी के पीछे दीवार के ऊपर खड़ा दिखाई दिया था। मां का कहना है कि उसे देखते ही रामदयाल वहां से भाग गया। इसके बाद जब बाड़ी में जाकर देखा तो उसकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। घटना के बाद से रामदयाल ध्रुव अपने घर से गायब है। इस वजह से पुलिस का शक भी उसके आसपास केंद्रित है। हालांकि हत्या की असली वजह और घटना में युवक की भूमिका जांच पूरी होने तथा पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगी।

# खेतों और बस्तियों तक पहुंचा हाथियों का झुंड, 18 किसानों की फसल तबाह

स्वदेश समाचार ■ रायगढ

धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार रात हाथियों के अलग-अलग दल जंगल से निकलकर गांवों और खेतों तक पहुंच गए। धरमजयगढ़ और कापू रेंज के कई इलाकों में हाथियों ने खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 18 किसानों की फसल बर्बाद हुई, जबकि तीन कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हाथियों के अचानक बस्ती और खेतों के आसपास पहुंचने से ग्रामीणों में डर का माहौल रहा। कई गांवों में लोग पूरी रात जागते रहे। ग्रामीणों ने हाथियों को खेतों से दूर रखने के लिए शोर किया, लेकिन कुछ झुंड काफी देर तक आसपास घूमते रहे। वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखती रहीं। कापू रेंज के दो बीट में हाथियों के अलग-अलग दल डेरा जमाए हुए हैं। अलोला बीट में 12 और पुटुकछार बीट में 17 हाथी मौजूद हैं। अलोला बीट के तालगांव में मंगलवार रात हाथियों ने कई किसानों के खेतों में लगी धान की फसल रौंद दी। हाथियों ने तिहारू, घूर सिंह, समिति, लल्लू, बालेश्वर, फूलसिंह और सुलेशन समेत अन्य किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ और रायगढ़ वन मंडल में कुल 170 हाथियों की मौजूदगी है। इनमें धरमजयगढ़ वन मंडल में 103 हाथी हैं। इनमें 31 नर, 45 मादा और 27 शावक शामिल हैं। वहीं रायगढ़ वन मंडल में 67 हाथी मौजूद हैं, जिनमें 18 नर, 38 मादा और 11 शावक हैं।

# शराब बिक्री मामले में आरोपी को 50 हजार जुर्माना, 2 साल की सजा

स्वदेश समाचार ■ महासमुंद

ग्राम अवलाचक्का में किराना दुकान की आड़ में अंग्रेजी शराब बेचने के मामले में पुलिस की कार्रवाई अब न्यायालय के फैसले तक पहुंची है। पुलिस द्वारा मौके से बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने, साक्ष्य जुटाने और समय पर चालान पेश करने के बाद न्यायालय ने आरोपी रतिराम सिदार को दो वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 12 अप्रैल का है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम अवलाचक्का में रति राम सिदार की किराना दुकान से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी सरायपाली की टीम ने नियमानुसार गवाहों को अवगत कराया और बताए गए स्थान पर छापामारी की कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर आरोपी के कब्जे से 167 पाव अंग्रेजी शराब बरामद कर जब्त की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। नियमानुसार जब्त शराब का आबकारी परीक्षण कराया गया और निर्धारित समयावधि में चालान माननीय जेएमएफसी वैभव घृतलारे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

# वर्दी की आड़ में शादी का झांसा, दुष्कर्म और दूसरी शादी; सब इंस्पेक्टर को 10 साल की सजा

**जगदलपुर।** पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश एफटीसी शैलेश अच्युत्य पटवर्धन ने अभियुक्त विकेश चौहान को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 376(2)(ढ) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड तथा धारा 494 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

# महिलाओं ने पौधरोपण कर हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

स्वदेश समाचार ■ नारायणपुर

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपरा, प्रकृति और कृषि संस्कृति से जुड़े हरेली पर्व के अवसर पर आईएस कॉलोनी स्थित शिव-दुर्गा मंदिर परिसर में मातृशक्ति द्वारा हरेली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए हरेली पर्व को पारंपरिक रीति-रिवाजों, हरियाली और प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ मनाया। इस अवसर पर डॉ. रत्ना नशीने ने हरेली पर्व की महत्ता बताते हुए कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ का पहला और प्रमुख लोकपर्व है, जो मुख्य रूप से प्रकृति, कृषि, हरियाली और किसान जीवन से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने तथा पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। कार्यक्रम में सावन झूला सजाया गया तथा पौधरोपण कर हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सावन में झूला झूलने की परंपरा को महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ निभाया।

# सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच अब विशेषज्ञ एजेंसी को

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ के सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच अब विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जा सकती है। बिलासपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक (छ्वत्रक्क) अरुण देव गौतम ने कहा कि मामला गंभीर है और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की गहन जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को जांच सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया है। छ्वत्रक्क के बयान के बाद मामले की जांच श्वह्रङ्ख को सौंपे जाने की संभावना बढ़ गई है। छ्वत्रक्क ने अब तक की पुलिस जांच की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले की जांच ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से की है। अब घोटाले के आर्थिक पहलुओं की विशेषज्ञ स्तर पर पड़ताल के लिए जांच किसी सक्षम एजेंसी को सौंपने का प्रस्ताव भेजा गया है। मामले की जांच में सर्पदंश से मौत के मुआवजे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने का दावा किया गया है। जानकारी के मुताबिक जशपुर में पिछले तीन वर्षों में सर्पदंश से 96 मौतें दर्ज हुईं, जबकि बिलासपुर में 431 मौतों को सर्पदंश से जोड़कर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपये का मुआवजा बांटे जाने की बात सामने आई है।

# आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, आवेदन 27 अगस्त तक

बिलासपुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकंडा अंतर्गत ग्राम धूमा के आंगनबाड़ी केन्द्र धूमा 01 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक रिक्त पद हेतु 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाईन आवेदन मंगाये गये है। इच्छुक आवेदिका वेबसाईट https://aww.e-bharti.in में जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन कर सकती है। ऑफलाइन आवेदन परियोजना कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


**गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** — सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे - 411014

[illegible]

| स. क्र. | ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता, गारंटर का नाम और ऋण राशि | सुरक्षित संपत्ति का विवरण | मांग सूचना दिनांक / देय राशि रुपये में |
|---|---|---|---|
| 1. | [illegible] ऋण राशि: 1525796 रुपये/- ऋण संख्या: HL0065H15100033 | खसरा संख्या 2/523 का पूरा टुकड़ा और भाग, [illegible] | 10/08/2026 — 1014578/- रुपये [illegible] |

[illegible]

किसी भी स्थिति में, यदि स्थानीय भाषा में प्रकाशित सामग्री और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री में कोई अंतर हो, तो चॉइस टाइम्स में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

स्थान:- छत्तीसगढ़
दिनांक:- 15.08.2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013, सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

**मांग सूचना**

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी को एकवचन या सामूहिक रूप से 'देनदार' कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को संबंधित मांग नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक (AD) द्वारा भेजी गई है और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है, और उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहे तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त देनदार/देनदारों के कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को उनके नाम के आगे उल्लेखित राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (d) में उल्लेखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे दिए गए ब्याज का भी भुगतान करें, जैसा कि ऋण समझौते और उक्त देनदार/देनदारों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के अनुसार देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त देनदार/देनदारों द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं।

| ऋण खाता संख्या | देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम | नीचे दी गई तिथियों के अनुसार कुल बकाया राशि (रु.) | मांग नोटिस की तिथि और एनपीए तिथि |
|---|---|---|---|
| TCHHL5700 0010028879, TCHIN05700 00100290357 | एमआर. अवधेश कुमार साहू (ऋण लेने वाला), श्रीमती चांदनी साहू (सह-ऋण लेने वाली) | 46,12,690 रुपये और 1,37,879 रुपये | 07-08-2026 & 03-08-2026 |

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तहसील और जिले के आर.एन.एम. कोनी, पटवारी हल्का क्रमांक 46, ग्राम सेंदरी में स्थित खसरा क्रमांक 1325/3, शीट क्रमांक 36, प्लॉट क्रमांक 10 का भाग, 2590 वर्ग फुट का विवेचित भूभाग, साथ ही उस पर निर्मित आवासीय मकान। यह संपत्ति बिलासपुर- सेंदरी मुख्य सड़क से आश्रम की ओर जाने वाली सड़क के लगभग 100 मीटर दाहिनी ओर स्थित है। सीमाएं- उत्तर- निस्तारी रोड, दक्षिण- विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व- विक्रेता की शेष भूमि और निस्तारी रोड, पश्चिम- श्री लवकेश साहू की संपत्ति

*उपरोक्त दिनांकित संबंधित मांग नोटिसों में विशेष रूप से उल्लेखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए खर्चे। यदि उक्त देनदार उपरोक्त अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के पूर्ण जोखिम पर उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्ति/अचल संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

उक्त देनदार/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने की मनाही है। अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने या उल्लंघन में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत निर्धारित कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांक: 15-08-2026
स्थान: बिलासपुर

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

**गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014। शाखा बंद इकाई: पहली मंजिल, इंदिरा टॉवर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (सीजी), छत्तीसगढ़ -495001

ई-नीलामी - बिक्री सूचना: सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार "सुरक्षित लेनदार" कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई हैं, जिनका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस के अनुसरण में ले लिया गया है।
गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री "जैसी है, जहां है", "जैसी है वैसी ही" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर 31-08-2026 को ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

| स. क्र. | प्रस्ताव क्रमांक ग्राहक का नाम (ए) | मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी) | स्वामित्व की प्रकृति {सी} | संपत्ति का विवरण {डी} | आरक्षित मूल्य {ई} | ईएमडी (आरपी ऑफ का 10%) {एफ} | ईएमडी जमा करने की तिथि {जी} | वृद्धिशील बोली (एच) | संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई) | नीलामी (जे) तिथि और समय | कौनाकिस ज्ञात भार/मामले यदि (के) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लोन नंबरः HL00579000000005015627 गिरीश वर्मा (उधारकर्ता) गीतांजलि कश्यप (सह-उधारकर्ता) | नोटिस की तिथि: 09-01-2026 कुल देय राशि- 19,21,497/- रुपये (उन्नीस लाख इक्कीस हजार चार सौ सत्तानवे रुपये मात्र), जो 09-01-2026 तक देय है, तथा वसूली होने तक 13.85त्न प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। | भौतिक | भूमिस्वामी भूमि संपत्ति का संपूर्ण भाग/अंश, जो ग्राम तखतपुर, पटवारी हल्का नंबर 28, राजस्व निरीक्षक मंडल तखतपुर, नगर पंचायत तखतपुर सीमा जनकपुर वार्ड नंबर 11, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 784/1 का टुकड़ा = 784/22, क्षेत्रफल 0.03त्न एकड़ = 0.0149 हेक्टेयर, भू-राजस्व 0.05 पैसे है। चौथी (सीमाएं): पूर्व: 60 फीट शेष भूमि पश्चिम: 60 फीट शेष भूमि उत्तर: 26.8 फीट पटेल की भूमि दक्षिण: 26.8 फीट निस्तारी रास्ता | 2282000.00/- रुपये (केवल बीस रुपये) दो लाख बयासी हजार | 228200.00 रुपये (दो लाख अट्ठाइस हजार दो सौ रुपये मात्र) | 28-08-2026 शाम 5 बजे से पहले | 10,000/- | 24-08-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक) | 31-08-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक) | शून्य |

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी वाली संपत्तियों का दौरा करें, स्वयं जांच-पड़ताल करें और अतिरिक्त शुल्कों, भारों और किसी भी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाकर बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से संतुष्ट हो जाएं। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े किसी भी अन्य वैधानिक शुल्क का पता लगाकर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है।
इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से पहले ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है, जो ई-बोली लगाने के लिए आवश्यक है। पता: प्लॉट नंबर-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर: 7291981124, 25, 26। ईमेल आईडी: id-Support@bankeauctions.comÐ संपर्क व्यक्ति: धरनी पी, ईमेल आईडी: dharani.p@cvindia.comÐ संपर्क नंबर: 9948182222। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से ÷गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता, बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या-091551000028 और आईएफएस कोड- ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर-411014" में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर 28-08-2026 या उससे पहले जमा करनी होगी और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा, जहां उन्हें मुफ्त में यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी, ईमेल करनी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर भेजनी होंगी-प्रथम मंजिल, इंदिरा टावर, विनोबा नगर, व्यापार विहार, बिलासपुर (सीजी), छत्तीसगढ़ -495001 मोबाइल नंबर: +91 8281138143 ईमेल आईडी: p.adith@grihumhousing.com नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं और ई-नीलामी में भाग लें। इस सूचना को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को 15 दिन (पंद्रह) की सूचना भी माना जाना चाहिए।

किसी भी स्थिति में, यदि स्थानीय भाषा में प्रकाशित सामग्री और अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री में कोई अंतर हो, तो चॉइस टाइम्स में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांक: 15.08.2026 स्थान: बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड